

**भारत सरकार**  
**सहकारिता मंत्रालय**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 3**  
**02 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ**

**विषय: सहकारी समितियों का डाटा अनुरक्षण**

**3. श्री संभाजी छत्रपती:**

**क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या सरकार ने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप श्रेणियों पर आधारित सहकारी समितियों पर वर्गीकृत डाटा को अनुरक्षित करने संबंधी कोई तंत्र विकसित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऋण प्रदान करने वाली सहकारी समितियों समेत वित्तीय लेन-देनों में सम्मिलित सहकारी समितियों की संख्या कितनी है; और
- (घ) देश में सहकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सरकार कौन-से प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव करती है?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

(क) एवं (ख): जी नहीं। वर्तमान में, भारत सरकार के पास सहकारी समितियों, उनकी गतिविधियों, उनके सदस्यों, उनके वित्तीय विवरण, आदि के बारे में कोई अद्यतन प्रामाणिक डेटा भंडार उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार सहकारी समितियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की योजना बना रही है और तदनुसार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है।

(ग): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) 2018 के सांख्यिकीय प्रोफाइल के अनुसार क्रेडिट सहकारी समितियों की राज्यवार सूची अनुबंध क में संलग्न है।

(घ): पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्तावित प्रति योजना से देश की ग्रामीण ऋण प्रणाली में दक्षता और जवाबदेही आने की अपेक्षा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रेडिट सहकारी समितियां
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	117
आंध्र प्रदेश	2874
अरुणाचल प्रदेश	52
असम	3757
बिहार	8818
चंडीगढ़	18
छत्तीसगढ़	1353
दादरा और नगर हवेली	40
दमन और दीव	9
दिल्ली	1436
गोवा	429
गुजरात	14684
हरियाणा	758
हिमाचल प्रदेश	2595
जम्मू एवं कश्मीर	652
झारखंड	4394
कर्नाटक	10426
केरल	3086
लक्षद्वीप	19
मध्य प्रदेश	8336
महाराष्ट्र	62514
मणिपुर	330
मेघालय	246
मिजोरम	161
नागालैंड	1761
ओड़ीशा	2729
पुदुचेरी	136
पंजाब	4115
राजस्थान	6518
सिक्किम	285
तमिलनाडु	6633
तेलंगाना	860
त्रिपुरा	289
उत्तर प्रदेश	12583
उत्तराखंड	775
पश्चिम बंगाल	13817
योग	177605

स्रोत: एनसीयूआई, 2018

\*\*\*\*\*